अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

41 12.09.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** विविध वाद सं० 04/2019–20 गोपी महतो पिता हौड़ा महतो, जाति–कुर्मी, निवासी ग्राम पुरानी राय, पोस्ट राय, थाना खलारी, जिला–रॉंची (झारखण्ड) .... आवेदक बनाम सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा महाप्रबंधक भू एवं राजस्व, सी० सी० एल०, दरभंगा हाउस, रॉची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक द्वारा छोटानागपूर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। आवेदक कुर्मी जाति के सदस्य है तथा उन्होने मौजा राय, थाना सं० 18, थाना खेलारी, जिला रॉंची, स्थित खाता सं०–64, प्लॉट सं० 1053 रकबा 0.09 एकड़ एवं प्लॉट सं० 1055 रकबा 0.32 एकड कुल रकबा 0.41 एकड भूमि को विपक्षी के पक्ष मे हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए याचना की है। आवेदक की ओर से उपस्थिति देने के बावजूद भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। अंचल अधिकारी, खलारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ अभिलेखबद्ध है। अँचल अधिकारी, खलारी, रॉची ने पत्रांक 360 (ii) दिनांक 22.07. 2021 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार जॉच के क्रम मे आवेदित को भूमि सी० सी० एल० के लिए अधिगृहित बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद संधारणीय प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप इसे खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:55:24 -08:00
Location: 192.168.1.4